

झारखण्ड सरकार  
निबंधन विभाग।

॥ अधिसूचना ॥

अधिसूचना संख्या : एस.ओ. 1/नि.वि.1087/08 ..... राँची, दिनांक : .....2012

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम सं. 2, 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, झारखण्ड द्वारा पूर्व की निर्गत अधिसूचना संख्या एस.ओ.-आर.-3/201/97-62, दिनांक 08.01.2000 (मुद्रांक शुल्क) की कंडिका 3 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन स्वीकृत करते हैं :-

- (3) विकासोन्मुख कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु भूमि विकास बैंक सहित अन्य बैंकों के पक्ष में किसी व्यक्ति द्वारा ऋण प्राप्ति हेतु राशि पाँच लाख रूपए तक के बंधक विलेख के मुद्रांक शुल्क पर। → पूर्ण परिहार

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

(एन.एन. पांडेय)

सरकार के प्रधान सचिव  
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : .....

राँची, दिनांक : .....

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, पोस्ट हिनू राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव  
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।



ज्ञापांक : .....

राँची, दिनांक : .....

प्रतिलिपि : अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के आगमी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित करते हुए उनसे अनुरोध है कि आगामी आसधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी मुद्रीत 200(दो सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


ह0/-

सरकार के प्रधान सचिव,  
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : .....656

राँची, दिनांक : 26-6-12

प्रतिलिपि : सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागध्यक्ष/सभी आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं झारखण्ड राज्य में स्थित बैंक के मुख्य कार्यकारी, अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के प्रधान सचिव, 23.6.12.  
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।